





- भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शों के अनुसार ही किया जायेगा। भवन का निर्माण में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में नगर कार्यपालक/प्रधान लिपिक को होगा एवं विधिस्ममत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ड) Environmental Protection Act के तहत नगरपालिका नियमों के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules) 2017 के अंतर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरांत ही भवन का निर्माण करना होगा।
- (ण) अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एण्ड डिवलपमेंट हाउसिंग पॉलिसी, 2017 के अंतर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरांत ही भवन का निर्माण करना होगा।
- (त) अन्य शर्तें।


बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2014 के संशोधन प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जाएगा।


प्रभारी अधिकारी
20/10/21


प्रधान लिपिक
20/10/21


कनीय अमियंता
20/10/21


सहायक अभियंता
20/10/21


नगर कार्यपालक/प्रधान अधिकारी
नगर परिषद फुलवारी शरीफ

ज्ञापक : 132850 दिनांक : 20/10/2021

प्रतिलिपि :- मेसर्स/श्री/श्रीमति मो० अहमद अली कौशर पता - मो० कजाल फुलवारी
पता - हालत नगर, फुलवारी शरीफ
नगर कार्यपालक/प्रधान अधिकारी
नगर परिषद फुलवारी शरीफ

